

## उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय वित्त समिति की 16वीं बैठक दिनांक 12.04.2019 का कार्यवृत्त

प्रो० नरेन्द्र एस० चौधरी, कुलपति , उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की अध्यक्षता में 16वीं वित्त समिति की बैठक कुलपति कार्यालय कक्ष मे दिनांक 12.04.2019 दिन शुक्रवार समय 12 बजे से आयोजित / सम्पन्न हुई। बैठक मे उपस्थिति निम्नवत् रही :-

क्र०स०	नाम	पदनाम
01	प्रो० नरेन्द्र एस० चौधरी, कुलपति उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री अर्जुन सिंह, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री जी०एस०बिष्ट, उप-सचिव, सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि ।	सदस्य
04	डॉ०रमन सौ०सूरी, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के सदस्य एवं मुख्य वैज्ञानिक आई०एम०टी०ई०सी०एच, चण्डीगढ़।	सदस्य
05	श्री सुबोध शर्मा, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के सदस्य (बी० 5-6-4057, वसंत कुंज नई दिल्ली)	सदस्य
06	श्री जयपाल सिंह तोमर, वित्त नियंत्रक उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून	संयोजक / सदस्य
07	डॉ०अनिता रावत, कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम मा० कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति मे उपस्थित सदस्योंगणों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ की गई । वित्त समिति के सदस्यों द्वारा उक्त बैठक का एजेंडा समय पर उपलब्ध न होने पर अपेक्षा गयी कि भविष्य मे बैठक से एक सप्ताह पूर्व एजेंडा वित्त समिति के सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाय । तत्पश्चात वित्त समिति द्वारा एजेंडा बिन्दु 01 पर विगत 15वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुये एजेंडा बिन्दुवार निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1-5  
वित्त विद्यालय  
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय  
देहरादून

एजेंडा बिन्दु		वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	
बिन्दु-02	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का वितीय वर्ष 2019-20 का आय-व्ययक अनुमान अनुमोदनार्थ वित्तीय वर्ष 2019-20 का आय-व्यय अनुमान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत	<p>वित्त समिति द्वारा 2019-20 में अनुमानित आय के सापेक्ष आधिक्य व्यय के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस क्रम में वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया है कि विकास मद्दों में यूटी०५०/ शासकीय निधि से संघटक संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु शेष यूटी०५० अंश की धनराशि का भुगतान 2019-20 में किया जाना प्रस्तावित है। इस कारण वितीय वर्ष 2019-20 में रु० 3.92 लाख का आधिक्य व्यय है जिसकी प्रतिपूर्ति विगत वर्ष से सचित सावधी जमा से की जायेगा। तत्पश्चात वित्त समिति द्वारा वितीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुमानित आय-व्यय पर विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
बिन्दु-03	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का वितीय वर्ष 2018-19 का वार्स्टाविक आय-व्ययक प्रस्ताव अनुमोदनार्थ- उत्तराखण्ड तकनीकी वार्स्टाविक आय : 25.32 करोड़ उत्तराखण्ड तकनीकी वार्स्टाविक व्यय : 14.26 करोड़	<p>वित्त समिति द्वारा वितीय वर्ष 2018-19 के वार्स्टाविक आय-व्यय पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
बिन्दु-04	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का वितीय वर्ष 2017-18 का वार्स्टाविक आय-व्यय प्रस्ताव अनुमोदनार्थ- उत्तराखण्ड तकनीकी वार्स्टाविक आय : 27.67 करोड़ उत्तराखण्ड तकनीकी वार्स्टाविक व्यय : 14.68 करोड़	<p>इस क्रम में वित्त समिति द्वारा वितीय वर्ष 2017-18 में अनुमानित आय के सापेक्ष वार्स्टाविक आय में पार्शी गयी कभी के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक से जानकारी चाही गयी। वित्त नियंत्रक द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वितीय वर्ष 2017-18 में भवन निर्माण हेतु अनुमानित आय के सापेक्ष शासकीय ग्रांट प्राप्त न होने एवं अनुमान के सापेक्ष नहीं छान्त प्रवेशित न हो पाने के कारण वश अनुमान के सापेक्ष वार्स्टाविक आय की प्राप्ति नहीं हो पायी तत्पश्चात वित्त समिति द्वारा वितीय वर्ष 2017-18 के वार्स्टाविक आय-व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
बिन्दु-05	विश्वविद्यालय कार्यहित में संविदा / आउटसर्स के रूप से एक विधिक सलाहकार कि नियुक्ति ₹ 30,000.00 से ₹	<p>वित्त समिति द्वारा सर्वप्रथम विधिक सलाहकार की आवश्यकता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस क्रम में मार्कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के लगभग 05 वाद माठ सर्वोच्च न्यायालय एवं लगभग 300 वाद माठ</p>	

  
 2-5  
 वित्त नियंत्रक  
 उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय  
 देहरादून

	60000.00 का मासिक नियत मानदेय स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	उच्च न्यायालय में विभिन्न सम्बन्ध में न्योजित है। उक्त के सम्बन्ध में प्रतिदिन ही विधिक सलाहकार की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस प्रयोजन हेतु एक विधिक सलाहकार की नियुक्त किये जाने की निरांतर आवश्यकता है जिस क्रम में वित समिति द्वारा प्रस्ताव पर (पार्टटाईम /आउटसोर्स ) के माध्यम से 11- 11 माह की अवधी हेतु नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही नियुक्त के समय विस्तृत सेवा शर्तों का उल्लेख किया जाने हेतु भी निर्देशित किया गया ।
बिन्दु-06	मा० कुलपति महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एम०फार्मा० में कार्यरत शिक्षकों को अनुबन्ध नवीनीकरण न कर एक दिन का सेवा विराम देते हुए पुरानी संविदा शर्तों के अनुसार माह जनवरी.2019 तक वेतन/मानदेय का भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही कार्यहित में माह फरवरी. 2019 से एम०फार्मा० के शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या एफ०२५-१/२०१८ PS/MISC) दिनांक 28.01.2019 द्वारा निर्धारित मानदेय रु० 1500 प्रति लैक्वर तथा माह में अधिकतम रु० 50000.00 प्रतिमाह का भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।	इस सम्बन्ध में वित समिति द्वारा एम०फार्मा० में कार्यरत शिक्षकों को अनुबन्ध नवीनीकरण न कर एक दिन का सेवा विराम देते हुए पुरानी संविदा शर्तों के अनुसार माह फरवरी. 2019 से एम०फार्मा० के शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या एफ०२५-१/२०१८ PS/MISC) दिनांक 28.01.2019 द्वारा निर्धारित मानदेय रु० 1500 प्रति लैक्वर तथा माह में अधिकतम रु० 50000.00 प्रतिमाह का भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिनांक 28.01.2019 द्वारा निर्धारित मानदेय रु० 1500 प्रति लैक्वर तथा माह में अधिकतम रु० 50000.00 प्रतिमाह का भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया ।
बिन्दु-07	यू०टी०य० से सम्बद्ध संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों LLB/B.A.LLB/BBALLB/B./COM LLB/LLB के शिक्षण शूलक पर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	प्रस्ताव पर वित समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
बिन्दु-08	यू०टी०य० से सम्बद्ध संस्थानों के शिक्षण शूलक निर्धारण समिति के सदस्यों एवं सम्बद्ध संस्थानों के औचक निरीक्षण / प्राप्त शिकायतों एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार गठित समिति के सदस्यों को ₹ 3000 प्रतिदिन की दर से मानदेय स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	प्रस्ताव पर वित समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

सित्त नियन्त्रक  
अनुदान अधिकारी विश्वविद्यालय

3-5

<p><b>बिन्दु-09</b> विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यू०के०एस०ई०५०० प्रवेश प्रस्ताव पर वित समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया।</p> <p><b>बिन्दु-10 अन्य बिन्दु</b></p>	<p>परीक्षा के आयोजन एवं काउंसिलिंग आयोजन हेतु मानदेय दरें स्वीकृति का प्रस्ताव</p>
<p>01.</p> <p>आयकर विभाग,भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को जारी नोटिस संख्या ITBA/AST/S/143 (2)_1/2 018-19/1012254001(1)दिनांक 14.09.2018 एवं संख्याITBA/AST/S/143(3)/201819/1013981544(1) दिनांक 04.12.2018 के अनुपालन मे विश्वविद्यालय खाते से ₹9,41,19,404/- की कटौती के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय द्वारा पक्ष आयकर विभाग मे रखे जाने एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयकर विभाग मे 12A(a) आवेदन प्रमाण पत्र निरस्त किये गये आदेश संख्या ITBA/EXM/S/EXM1/2018-19/1012252819(1)दिनांक 14.09.2018 के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय का पक्ष आयकर अपील मे रखे जाने हेतु ₹ 2.50 लाख वर्कील सेवाये एवं ₹ 2.50 सी०ए० की सेवाये लिये जाने हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव वित समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।</p> <p>02.</p> <p>उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन शुल्क ₹ 5000.00 के स्थान पर ₹ 2000 किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p> <p>03.</p> <p>यू०टी०यू० से सम्बद्ध संस्थान गुरु नानक एजुकेशन ट्रस्ट (हरमेश) पर परीक्षा शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क के रूप मे 2012-13 से 2013-14 तक रु 8184550.00 बकाया थे। यू०टी०यू० से सम्बद्ध संस्थान गुरु नानक एजुकेशन ट्रस्ट हरमेश द्वारा विश्वविद्यालय मे दिये गये सपथ पत्र के अनुसार बकाया शुल्क समय पर जमा न किये जाने के प्रस्ताव पर वित समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही छात्रहित में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु रु 0 5000.00 के स्थान पर रु 0 2000 शुल्क किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p>01.</p> <p>आयकर विभाग,भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को जारी नोटिस संख्या ITBA/AST/S/143 (2)_1/2 018-19/1012254001(1)दिनांक 14.09.2018 एवं संख्याITBA/AST/S/143(3)/201819/1013981544(1) दिनांक 04.12.2018 के अनुपालन मे विश्वविद्यालय खाते से ₹9,41,19,404/- की कटौती के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय द्वारा पक्ष आयकर विभाग मे रखे जाने एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयकर विभाग मे 12A(a) आवेदन प्रमाण पत्र निरस्त किये गये आदेश संख्या ITBA/EXM/S/EXM1/2018-19/1012252819(1)दिनांक 14.09.2018 के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय का पक्ष आयकर अपील मे रखे जाने हेतु ₹ 2.50 लाख वर्कील सेवाये एवं ₹ 2.50 सी०ए० की सेवाये लिये जाने हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव वित समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।</p> <p>02.</p> <p>उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन शुल्क ₹ 5000.00 के स्थान पर ₹ 2000 किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p> <p>03.</p> <p>यू०टी०यू० से सम्बद्ध संस्थान गुरु नानक एजुकेशन ट्रस्ट (हरमेश) पर परीक्षा शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क के रूप मे 2012-13 से 2013-14 तक रु 8184550.00 बकाया थे। यू०टी०यू० से सम्बद्ध संस्थान गुरु नानक एजुकेशन ट्रस्ट हरमेश द्वारा विश्वविद्यालय मे दिये गये सपथ पत्र के अनुसार बकाया शुल्क समय पर जमा न किये जाने के प्रस्ताव पर वित समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही छात्रहित में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु रु 0 5000.00 के स्थान पर रु 0 2000 शुल्क किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>इस क्रम मे वित समिति द्वारा स्थानीय बाजार से तीन सी०ए० फर्म एवं सम्बन्धित वर्कील की सेवाये लिये जाने हेतु भी 03 कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दरों के आधार पर सी०ए० फर्म एवं वर्कील सेवाओं के बचन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>इस क्रम मे वित समिति द्वारा स्थानीय बाजार से तीन सी०ए० फर्म एवं दिनांक दरों के आधार पर सी०ए० फर्म एवं वर्कील सेवाओं के बचन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>प्रस्ताव पर वित समिति द्वारा के अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही छात्रहित में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु रु 0 5000.00 के स्थान पर रु 0 2000 शुल्क किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>प्रस्ताव पर वित समिति द्वारा हरमेश संस्थान सहित अन्य समस्त संस्थानों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया जिन पर विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क आदि की धनरक्षि बकाया है। इस क्रम मे वित नियंत्रक द्वारा वित समिति को अवगत कराया गया कि डी०आ०ई०टी०,दे०द०न पर ₹34,30,257,बी०टी०के०आ०ई०टी०, द्वाराहाट पर रु 1,08,000, इम्पीरियल कॉलेज रुड़की पर रु 399300, परीक्षा शुल्क के रूप मे एवं ग्राहिकएरा,दे०द०न पर रु 0 3,75,000, दास कॉलेज दे०द०न</p>

वित नियंत्रक  
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय  
देहरादून

वित नियंत्रक  
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय  
देहरादून

	<p>कारण दिनांक मई,2013 से नवम्बर, 2018 तक का रु0 5000 प्रतिदिन की दर से कुल धनराशि रु0 99,80,000.00 अर्थदण्ड की धनराशि माफ / वसूली के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत।</p>	<p>पर रु0 3,75,000, जी0एस0बी0ए0 कुड़की पर रु0 2,50,000 पर सम्बद्धता शुल्क बकाया है। वर्तमान में कोई भी संस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं है। वित्त समिति द्वारा हरमेश संस्थान की वर्तमान वित्तीय स्थिति भी चाही गयी इस क्रम में संस्थान के पत्रांक दिनांक 28.02.19 के क्रम में वित्त समिति को अवगत कराया गया कि सम्बन्धित संस्थान में 2013–14 से प्रवेश न होने के कारण संस्थान वित्त 05 वर्षों से बन्द है एवं संस्थान की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। साथ ही यूटी0यू एकट एवं नियमावली में अर्थदण्ड लगाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। वित्त समिति द्वारा वर्चा उपरांत हरमेश संस्थान पर देय अर्थदण्ड की धनराशि माफ किये जाने हेतु सहमति प्रदान नहीं की गयी एवं संस्थान की वास्तविक वित्तीय स्थिति प्राप्त कर आगामी वित्तीय समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>
--	---	--

बैठक के अंत में समस्त सदस्यों द्वारा मा0 कुलपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक सम्पन्न हुई।

(जयपाल सिंह तोमर)  
संयोजक / वित्त नियंत्रक  
उ0त0वि0

(प्रो0 नरेन्द्र एस0 चौधरी)  
कुलपति / अध्यक्ष

कुलपति  
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय  
देहरादून